# जजों, एसएचओ के फार्म हाउस...फिर सरकार नाम कैसे बताएगी

## सूचना आयोग 15 मार्च को करेगा मामले की सुनवाई

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

**फरीदाबाद:** क्या हरियाणा सरकार उन 60 नामों को सार्वजनिक करेगी, जिनके अवैध फार्म हाउस अरावली की पहाड़ियों में बने हैं। इनमें से सबसे ज्यादा फरीदाबाद और उसके बाद गुड़गांव के फार्म हाउस हैं। सरकार ये नाम सार्वजनिक नहीं करेगी। वजह ये है कि ये अवैध फार्म हाउस कुछ जजों, आईपीएस अफसरों से लेकर एसएचओ लेवल के अफसरों के हैं। इसलिए इन नामों को खट्टर सरकार कभी सार्वजनिक नहीं करेगी। इन पर लीपापोती का काम शुरू कर दिया गया है। हरियाणा सरकार और उसकी विभिन्न एजेंसियों को एक महीने में सर्वे कर ये नाम राज्य सूचना आयोग को बताने हैं लेकिन अभी तक सर्वे की कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, बल्कि मामले को रफा-दफा करने की कार्रवाई पर दिन-रात विचार हो रहा है।

### मामाजी का भी फार्म हाउस

**फरीदाबाद के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में मामाजी के नाम से कुख्यात शख्स का भी फार्म हाउस अरावली में है। ये मामाजी एक मंत्री के रिश्तेदार बताये जाते हैं। सूत्रों का कहना है कि अधिकारी जितना मंत्री से नहीं डरते उतना इस मामाजी से डरते हैं।**

**इस संबंध में डीटीपीई, वन विभाग और नगर निगम के पास बाकायदा शिकायते हैं। लेकिन मामाजी के फार्म हाउस पर हाथ डालने की हिम्मत किसी की नहीं हैं।**

### मालिक कोई और, नाम किसी और का

अरावली पहाड़ और आसपास के इलाकों में करीब 130 अवैध फार्म हाउसों की पहचान हुई है लेकिन इनमें भी 60 फार्म हाउस ऐसे हैं जो सुपर वीआईपी हैं। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में रहने वाले कुछ जजों के फार्म हाउस अरावली में हैं। लेकिन उन जजों ने ये फार्म हाउस में अपने किसी रिश्तेदार या नौकर के नाम पर कराए हुए हैं। एक चर्चित फार्म हाउस दक्षिणी दिल्ली के एक एसएचओ का भी है, जहां आए दिन पार्टियां होती रहती हैं यानी इसका व्यावसायिक इस्तेमाल भी हो रहा है। इसी तरह बिजली बोर्ड में कभी फरीदाबाद में तैनात रहे एक आला अफसर का भी फार्म हाउस अरावली में है। सिर्फ उसी अफसर की वजह से इन तमाम अवैध फार्म हाउसों में बिजली कनेक्शन लगे।

मजदूर मोर्चा के पास उपलब्ध सूचना के मुताबिक 60 अवैध फार्म हाउसों में सबसे ज्यादा फार्म हाउस पुलिस अफसरों या फिर कुछ जजों के हैं। हरियाणा कैडर के कई आईपीएस अफसरों के फार्म हाउस भी यहां हैं। आईएएस अफसर इस मामले में थोड़ा पीछे रह गए हैं।

### क्या है पूरा मामला

पिछले साल बडखल विधानसभा क्षेत्र की विधायक सीमा त्रिखा ने विधानसभा में अवैध फार्म हाउसों का मामला उठाया था। वन मंत्री कंवर पाल ने जवाब में बताया था कि फरीदाबाद में 50 और गुड़गांव में करीब दस फार्म हाउस अवैध रूप से बने हुए हैं। वन मंत्री ने विधानसभा में वो नाम छिपा लिए जो इनके मालिक थे। चर्चित आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने इस घटनाक्रम के बाद आरटीआई के जरिए उन नामों की जानकारी मांगी जो इसके असली मालिक थे। फिर क्या था, खट्टर सरकार को पसीने आ गए। एक साल हो चुके हैं, तरह-तरह के बहाने बनाकर उन नामों को छिपाया जा रहा है जो इन फार्म हाउसों के असल मालिक हैं। इस सारे मामले में सबसे बड़ी बदमाशी टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट (डीटीपीई) कर रहा है, जिसका कहना है कि उसके पास ऐसा कोई रेकॉर्ड ही नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बदमाशी वन विभाग कर रहा है। अरावली की जमीन वन विभाग की है लेकिन वह सारी जिम्मेदारी डीटीपीई, फरीदाबाद, नगर निगम (एमसीएफ) और पुलिस पर डाल देता है। इसी वजह से कुछ पुलिस अधिकारी भी सांठगांठ करके अरावली में जमीन हथिया लेते हैं। बहरहाल, राज्य सूचना आयोग इस मामले की सुनवाई 15 मार्च 2021 को करने वाला है।

### रामदेव की भी अरावली में रुचि

सूत्रों ने बताया कि ठग गुरु के समूह ने अरावली क्षेत्र में 400 एकड़ से अधिक जमीन खरीदी है। रामदेव अब अरावली में अपना फार्म हाउस बनाना चाहता है। छानबीन से पता चला है कि फॉरेस्ट लैंड के बड़े हिस्से का लेन-देन 2014 से 2016 के बीच हुआ था। हरियाणा पंचायत और वन कानून के मुताबिक नियमानुसार ये ज़मीनें अधिग्रहित नहीं की जा सकती हैं। इस अधिग्रहित 400 एकड़ में से अधिकतर ज़मीन 'गैर मुमकिन पहाड़' या 'शामलात देह' की है। गैर मुमकिन पहाड़ वह ज़मीन होती है जिस पर न तो खेती-किसानी, न व्यवसाय और न ही किसी को कब्ज़ा दिया जा सकता है। शामलात देह गांव की साझा ज़मीन होती है जो ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में होती है और जिसे किसी व्यक्ति या कंपनी को बेचा नहीं जा सकता है।

**हरियाणा विधानसभा ने फ़रवरी 2019 में पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1990 में संशोधन किया, जिससे अरावली पर्वत श्रृंखला में रियल एस्टेट के विकास और खनन के लिए हज़ारों एकड़ ज़मीन अधिग्रहण का रास्ता साफ़ हो सके। विधानसभा में उस समय अवैध फार्म हाउसों का मामला उठा लेकिन सरकार तथ्यों को छुपा गई।**

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में जंगल को तबाह करने की कोशिश करने के लिए हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। लेकिन दरअसल यह कानून भी ठग गुरु की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बदला गया था। हालांकि मीडिया में 400 एकड़ जमीन की बात ही आई है लेकिन पता चला है कि ओमेक्स और कुछ पार्टनरों के साथ भी मिलकर अरावली और अन्य जगहों पर ठग गुरु ने जमीनें खरीदी हैं। पिछले दिनों ओमेक्स के एक पार्टनर के हाउसिंग प्रोजेक्ट के कार्यक्रम में खुद ठग गुरु शामिल हुआ था। दरअसल, ठग गुरु के आने का मकसद यही था कि इन सारे प्रोजेक्ट को ठग गुरु का आशीर्वाद मिला हुआ है। अगर ठग गुरु साथ है तो समझो हरियाणा सरकार साथ है, क्योंकि ठग गुरु हरियाणा सरकार का ब्रैंड एम्बैसडर है।

### बहुत बड़ा स्कैम, दूर से छोटा

अरावली में जमीन लूटने का स्कैम बहुत बड़ा है। अरावली में पानी नहीं है, इसके बावजूद वहां हरियाणा सरकार अपार्टमेंट बनाने, मॉल बनाने आदि के लाइसेंस, लैंड यूज चेंज के आदेश धड़ल्ले से जारी कर रही है। अरावली में आप जिस तरफ निकलेंगे, वहां आपको पक्के मकान या अपार्टमेंट नजर आएंगे। इनका निर्माण दो चार दिन में नहीं हुआ है।

**पाठकों को याद होगा कि हरियाणा सरकार और भाजपा ने 2014 के चुनाव से पहले सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की जमीनों का जोरशोर से प्रचार किया था। सत्ता मिलते ही मनोहर लाल खट्टर सरकार ने वाड्रा के खिलाफ जमीन के मामलों में कई एफआईआर दर्ज कराई। जस्टिस ढींगरा आयोग सिर्फ वाड्रा की जमीनों की जांच के लिए बनाया। उस जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी खट्टर सरकार को सौंप दी। जिसमें साफ तौर पर जमीन के लिए वाड्रा द्वारा मचाई गई लूट खसोट का जिक्र है। हरियाणा सरकार ने अभी तक वह जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की और न ही उस पर अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट ( एटीआर ) पेश की। खट्टर सरकार अब दोबारा सत्ता में लौट आई लेकिन अभी तक वाड्रा या कोई बड़ा कांग्रेसी नेता जमीन के लूट खसोट मामले में अंदर नहीं गया।**

# मज़दूर नेता को उठाया...फरीदाबाद पुलिस का एक और कारनामा

## गणतंत्र दिवस पर मज़दूरों की साइकिल रैली रोकने के लिए घिनौनी हरकत

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

**फरीदाबाद : किसान आंदोलन का समर्थन करना मज़दूर नेता को भारी पड़ा। 25 जनवरी की आधी रात को इंक़लाबी मजदूर केंद्र के प्रतिनिधि संजय मौर्या को फरीदाबाद पुलिस ने उनके घर से उठा लिया। घर में उनकी पत्नी और बेटियां थी। पत्नी और बेटियों के बार बार पूछे जाने पर भी पुलिस ने उन्हें उठा ले जाने का कोई कारण नहीं बताया।**

**पुलिस ने यह भी नहीं बताया कि किस थाने से आई है और कहां ले आएगी। पत्नी ने बताया कि रात के घनघोर अंधेरे में हरियाणा पुलिस के सात जवान बिना नम्बर प्लेट की एक जिप्सी से आए थे।**

**पुलिस द्वारा उठाए जाने के कुछ देर बाद संजय मौर्या का फोन आया कि उन्हें सेक्टर 58 के थाने में लाया गया है।**

**बड़ी तादाद में मज़दूर साथी थाने पहुँच गए। फिर पुलिस हरकत में आई। उसने चुपके से गाड़ी में बैठाकर संजय मौर्या को थाने से कुछ दूरी पर सेक्टर 56 में छोड़ दिया।**

मजदूर नेता संजय मौर्या

**इस दौरान उनके मोबाइल को बंद कर दिया गया था। थाने में उस वक्त एसएचओ नहीं थे। संजय के बारे में पूछने पर सिपाहियों ने कहा कि हम उन्हें नहीं जानते हैं। इस थाने के सिपाही उनको नहीं उठाए हैं। क्राइम ब्रांच में जाकर पता करो।**

**पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई का खतरनाक कारनामा यह है कि वह किसी भी तरह की जबाबदेही से बचती रही। अतीत में पुलिस पर बहुत से आरोप लगे हैं कि कस्टडी से लोग लापता हो गए और पुलिस आरोप से बचने के लिए लीपापोती करती रही।**

**इंकलाबी मजदूर केंद्र और औद्योगिक ठेका मजदूर यूनियन ने संयुक्त रुप से किसान आन्दोलन के समर्थन में 26 जनवरी को शहर में साइकिल रैली का कार्यक्रम तय किया था। संजय मौर्या सहित दोनों संगठनों के कार्यकर्ता साइकिल रैली की तैयारी में लगे हुए थे।**

**ऐसा लगता है कि किसानों के समर्थन में शहर में होने वाली साइकिल रैली को पुलिस नहीं होने देना चाहती थी। इसीलिए संजय मौर्या को 25 जनवरी की आधी रात को ही उठा गया।**

**बहरहाल, इंक़लाबी मजदूर केंद्र के प्रतिनिधि संजय को उठाने के बाद दूसरे साथियों में गुस्सा व जोश भर आया लेकिन उन्होंने रैली को सफल बनाने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।**

# टीआरपी स्कैम- पार्थो दासगुप्ता ने अर्णब गोस्वामी को किया बेनक़ाब

मुंबई- बार्क इंडिया के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता ने मुंबई पुलिस को दिए एक लिखित बयान में कुबूल किया है कि रेटिंग से छेड़छाड़ करके रिपब्लिक टीवी को नंबर एक दिखाने के लिए उनको चैनल के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी ने 12 हजार डॉलर दिए थे। सिर्फ इतना ही नहीं उनको तीन साल के दौरान कुल 40 लाख रुपये भी अर्णब गोस्वामी द्वारा दिए गए थे।

बता दें कि टीआरपी में छेड़छाड़ करने के बदले पैसे लेने-देने की यह जानकारी उस सप्लिमेंट्री चार्जशीट से मिली है, जो कि टीआरपी घोटाले मामले में पुलिस द्वारा दायर की गई है।

बार्क इंडिया के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता ने अपने बयान में लिखा है, "मैं अर्णब गोस्वामी को साल 2004 से जानता हूं। हम टाइम्स नाउ में एक साथ काम किया करते थे। मैंने बार्क के सीईओ के तौर पर 2013 में ज्वॉइन किया था और अर्णब गोस्वामी ने साल 2017 में रिपब्लिक टीवी लॉन्च किया था। रिपब्लिक लॉन्च करने से पहले उसने मुझसे कई बार योजना को लेकर बात की थी और रेटिंग के लिए मदद करने की बात भी कही थी। गोस्वामी को पता था कि मुझे मालूम है कि टीआरपी सिस्टम कैसे काम करता है?"

लिखित बयान में आगे बताया गया है, "मैं अपनी टीम के साथ काम करता था और टीआरपी में छेड़छाड़ करता था, जिससे कि रिपब्लिक टीवी को नंबर एक रेटिंग मिल सके। यह लगभग साल 2017 से 19 तक जारी रहा। 2017 में अर्णब गोस्वामी ने मुझे करीब 6000 डॉलर कैश दिए। इसके बाद 2019 में भी उन्होंने मुझे इतनी ही राशि दी। 2017 में भी गोस्वामी ने मुझ से मुलाकात की और मुझे 20 लाख रुपये कैश दिए। 2018 और 2019 में उन्होंने मुझे 20 लाख रुपये दिए।" इंडियन एक्सप्रेस में छपी ख़बर के मुताबिक मुंबई पुलिस की दूसरी चार्जशीट के अनुसार, पार्थो दासगुप्ता का बयान क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के कार्यालय में 27 दिसंबर, 2020 को 5.15 बजे दो गवाहों की उपस्थिति में दर्ज किया गया था।

टीआरपी स्कैम मामले में 3600 पन्नों की सप्लिमेंट्री चार्जशीट मुंबई पुलिस द्वारा 11 जनवरी को मुंबई की अदालत में दायर की गई थी, जिसमें बार्क फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट भी शामिल थी। साथ ही साथ दासगुप्ता और गोस्वामी के बीच की व्हाट्सएप चैट भी शामिल है। इसके अलावा बार्क के पूर्व कर्मचारी और केबल ऑपरेटर समेत 59 लोगों के बयान शामिल हैं।

इस मामले में सप्लिमेंटरी चार्जशीट पुलिस की तरफ से पार्थो दासगुप्ता, BARC के पूर्व सीओओ रोमिल रामगढ़िया और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सीईओ विकास खानचंदानी के खिलाफ दायर की गई थी। बता दें कि नवंबर 2020 में इस मामले में करीब 12 लोगों के खिलाफ पहली चार्जशीट दायर की गई थी। वहीं मुंबई पुलिस द्वारा चार्जशीट दायर किए जाने के बाद पार्थो दासगुप्ता के वकील अर्जुन सिंह ने अपने मुवक्किल का बचाव करते हुए कहा है, "हम इस आरोप से पूरी तरह से इनकार करते हैं, क्योंकि बयान को दबाव में दर्ज किया गया होगा। कानून की अदालत में इसका कोई स्पष्ट मूल्य नहीं है।"